



Neutral Citation No. 2026:AHC-LKO:22538

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन, अंतर्गत धारा 482 बीएनएसएस, संख्या- 480 वर्ष
2026

पवन कुमार उर्फ पवन सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ, एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मंजू सिंह, अंजू सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

आवेदक की ओर से दाखिल पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।

प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी संख्या 2 को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं है।

यह तत्काल आवेदन पुलिस थाना लहरपुर, जिला सीतापुर में दर्ज मुकदमा आपराध संख्या/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 324 वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 के अंतर्गत आवेदक की अग्रिम जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विवेचना अभी जारी है।

आवेदक का दो मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण जमानत याचिका

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र के प्रस्तर 8 में विधिवत दिया गया है, जमानत आदेशों की प्रतियाँ जमानत याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न की जा रही हैं। आवेदक विवेचना में सहयोग करने का वचन देता है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है, किंतु वे उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

इस बात पर उचित विचार करने के पश्चात कि विवेचना अभी चल रही है, और जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र के प्रस्तर 8 में आवेदक के आपराधिक इतिहास को विधिवत स्पष्ट किया गया है, और उसने जाँच में सहयोग करने का वचन भी दिया है और बिना कोई ऐसी टिप्पणी किए जिससे प्रकरण के परिणाम पर कोई असर पड़े मेरा यह मत है कि उपर्युक्त तथ्य आवेदक को अग्रिम जमानत देने हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत यह प्रावधान किया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/विवेचना अधिकारी/स्टेशन हेड ऑफिसर की संतुष्टि के अनुसार, समान राशि का एक निजी मुचलका और दो जमानतें प्रत्येक समान राशि की प्रस्तुत करे, और यह रिहाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i). आवेदक आज से बीस दिनों के भीतर विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। वह विवेचना में सहयोग करेगा और साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। अभियुक्त-आवेदक तब-तब उपस्थित रहेगा, जब संबंधित गिरफ्तार करने वाला अधिकारी/विवेचना अधिकारी/स्टेशन हेड ऑफिसर जांच/पूछताछ हेतु उसे बुलाएगा। आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा।

ii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन देने से विरत रहेगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित हो या जिसके परिणाम स्वरूप साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो;

iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं करेगा।

iv) आवेदक अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को प्रभावित करने या डराने-धमकाने का प्रयास नहीं करेगा;

v) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र (अंडरटेकिंग) दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में गवाह उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य हेतु तय की गई तिथि पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में विचारण न्यायालय इसे जमानत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र होगा।

vi) आवेदक उत्तर प्रदेश गिराहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(बी) की आवश्यकता के अनुसार इस आशय का एक वचनपत्र (अंडरटेकिंग) भी दाखिल करेगा कि वह किसी भी मामले में संलिप्त नहीं होगा और न ही जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

(vii) आवेदक नियत तिथि पर या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(viii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय की गई तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ix) उपर्युक्त शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगा;

कोई भी अन्य उचित प्रतिबंध/शर्तें जिन्हें विचारण न्यायालय उचित और सही समझे, लगाई जा सकती हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को अग्रिम जमानत देते समय की गई टिप्पणियां, किसी भी प्रकार से विचारण न्यायाधीश द्वारा गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने को प्रभावित नहीं करेंगी। ।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, अग्रिम जमानत का आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

30 मार्च 2026

शुक्ला

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।